



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245990
CG-DL-E-22052023-245990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2148]
No. 2148]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

सं. 6 / 2023

विषय: आईटीसी एचएस शीर्ष 3004 के तहत निर्यातित कफ सिरप की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2242(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कफ सिरप के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 30 में 1 जून, 2023 से निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
84क	3004	कफ सिरप	मुक्त	निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोगशाला द्वारा निर्यात नमूने का परीक्षण किए जाने और जारी किए गए विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) की प्रस्तुति के अधीन कफ सिरप का निर्यात किए जाने की अनुमति दी जाएगी: भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश • सीडीएल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

				- सीडीटीएल, चेन्नई, तमिलनाडु - सीडीटीएल, मुंबई, महाराष्ट्र - सीडीटीएल, हैदराबाद, तेलंगाना - आरडीटीएल, चंडीगढ़ - आरडीटीएल, गुवाहाटी, असम, एनएबीएल मान्यताप्राप्त कोई राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला
--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) कोड के तहत शीर्ष 3004 के अंतर्गत आने वाले “कफ सिरप” के निर्यात की अनुमति उपरोक्त पैरा-1 में यथा उल्लिखित किसी भी प्रयोगशाला द्वारा निर्यात नमूने के परीक्षण किए जाने और जारी किए गए विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) की प्रस्तुति के अधीन दी जाएगी जो 1 जून 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम-20/ईसी/भाग-VII/ई-21207]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2023

No. 06 /2023**Subject:** Amendment in Export Policy of Cough Syrup.

S.O. 2242(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby makes following amendment in Chapter 30 of the Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy related to export of Cough Syrup w.e.f. 1st June, 2023 :

Sl. No.	ITC HS Codes	Description	Existing Export Policy	Revised Export Policy
84 A	3004	Cough Syrup	Free	Cough Syrup shall be permitted to be exported subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA) issued by any of the following laboratories: Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, Uttar Pradesh - CDL, Kolkata, West Bengal - CDTL, Chennai, Tamil Nadu - CDTL, Mumbai, Maharashtra - CDTL, Hyderabad, Telangana - RDTL, Chandigarh - RDTL, Guwahati, Assam - Any NABL accredited State Drugs Testing Laboratory

2. Effect of this Notification:

The export of "Cough Syrup" under ITC (HS) Codes falling under the Heading 3004 shall be permitted subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA) issued by any of the laboratories as mentioned in Para-1 above, with effect from 1st June 2023.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/Part-VII/e- 21207]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.